

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 882

दिनांक:- 19/11/15

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-चित्तौड़गढ़ के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध सरप्लस आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या
1	आवासीय योजना चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	EWS	9/40-(A) = कुल = 01
2	आवासीय योजना चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	LIG	5/48 = कुल = 01
3	आवासीय योजना चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	MIG-B	3/31 = कुल = 01
कुल			03
4	सैंती सेगवा रोड, फेज-द्वितीय, चित्तौड़गढ़	EWS	2-E-189 2-E-192 2-E-213 2-E-215 2-E-220 2-E-260 2-E-315 2-E-266 2-E-267 2-E-276 = कुल = 10
5	सैंती सेगवा रोड, फेज-द्वितीय, चित्तौड़गढ़	HIG	2-A-5. 2-A-19 = कुल = 02
कुल			12
6	प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़	MIG-A	1-B = कुल = 01
7	निम्बाहेडा योजना (पुरानी योजना)	MIG-A	1/65 = कुल = 01
खण्ड चित्तौड़गढ़ में नीलामी योग्य कुल आवास (A)			3+12+02 = कुल = 17


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है। उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे। नीलामी में आवासों का निस्तारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित करे। नीलामी हेतु दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है। कम संख्या-6 पर दर्शाये गये आवास संख्या 1-बी के आय वर्ग की पुष्टि करने के उपरान्त ही आवास का निस्तारण किया जावे।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय नोटशीट पैरा 137-138/एन पर अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर, रा0आ0म0 उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड चित्तौड़गढ़, रा0आ0म0 चित्तौड़गढ़।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक